(वाद संख्या–3003/10)

16.08.2019

परिवादी, नारायण गिरी उपस्थित हैं।

अंचलाधिकारी, दिनारा, रोहतास के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, दिनारा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि विद्यालय हेतु खाता संख्या 125, खेसरा संख्या 225, क्षेत्रफल 0.15 डिसिमिल आनाबाद सर्वसाधारण खाते की भूमि चयन कर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, विक्रमगंज, को उनके पत्रांक 596, दिनांक 6.8.2019 के द्वारा भेजा गया है।

परिवादी का कथन है कि पूर्व में भी इसी तरह विद्यालय हेतु अन्यत्र भूमि का चयन किया गया था, लेकिन उक्त चयनित भूमि पर आज तक विद्यालय का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया, क्योंकि उक्त जमीन के प्रस्ताव को जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

विद्यालय हेतु प्रस्तावित चयनित भूमि के अनुमोदन की अद्यतन स्थिति के संबंध में, जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम से दिनांक 11.10.2019 के पूर्व प्रतिवेदन की मांग करें।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि के संबंध में उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त तिथि को परिवादी चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।

संचिका दिनांक–18.10.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>